

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2010/अग्रहायण 5, 1932

No. 309]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2010/AGRAHAYANA 5, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010.

फा. सं 51-1/2009-रा.अ.शि.प./ (मानक एवं मानदण्ड).—
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73)
के अनुभाग 32, खंड (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते
हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक तथा क्रियाविधि)
विनियम, 2009 का इससे आगे संशोधन करती है, जो निम्नलिखित
है :—

1. (i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता
के मानक तथा क्रियाविधि) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2010 के
रूप में जाने जाएंगे।

(ii) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से
प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक तथा
क्रियाविधि) विनियम, 2009 के (इसमें आगे उल्लिखित विनियम
कहा जाता है) विनियम 7 में :—

(क) उप-विनियम (1) में शब्दों “पृथक रूप से
निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किए गए आवेदन पत्र को ही
पूर्ण माना जाएगा” के स्थान पर “आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों
के साथ आवेदन की तिथि से सात दिवस की अवधि में प्रेषित किया
जाना चाहिए” प्रतिस्थापित होगा।

(ख) उप-विनियम (1-ए) के स्थान पर निम्नलिखित
प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः,—

“(1-ए)(i) निम्नलिखित में से एक अथवा एक से
अधिक परिस्थितियों में आवेदन पत्र सरसरी तौर पर
निरस्त कर दिया जाएगा :

(अ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियम, 1997 के
नियम संख्या 9 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया शुल्क
ऑनलाइन आवेदन पत्र के जमा करने की तिथि
अथवा उससे पूर्व, उपलब्ध न कराया गया हो ;

(ब) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के सात दिवस में
हार्ड कॉपी की तीन प्रतिलिपियां प्रेषित न की गई हों ;

(स) संस्था/संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम आवेदन की तिथि को
प्रस्तुत स्वामित्व भूमि के पंजीकृत दस्तावेज की प्रतिलिपि
जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, के
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के सात दिवस के
अंदर प्रेषित न किया गया हो।

(ii) उल्लिखित उप-विनियम (i) में वर्णित परिस्थितियों
के कारण, क्षेत्रीय समिति आवेदन पत्र को निरस्त
करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवेदक
का आवेदन पत्र वापस करेगी तथा प्रक्रिया शुल्क को
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने के तीस दिवस के
अंदर वापस करेगी।

(iii) उप-विनियम (1) में क्रम संख्या (iii) से (vii)
तक निर्धारित दस्तावेज यदि सात दिवस के अन्दर
प्रेषित न किए गए हों अथवा प्रेषित किए गए दस्तावेजों
में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, उस
परिस्थिति में क्षेत्रीय समिति इस प्रकार की कमी को

सुधार योग्य कमी मानते हुए आवेदनकर्ता संस्थान को कमी को सुधारने हेतु उम-विनियम (i) में वर्णित समय सीमा के अंतर्गत सूचित करेगी।”

विक्रम सहाय, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/131/10/अस.]

टिप्पण : मूल विनियम सं. 51-1/2009-रा.अ.शिक्ष. (एन एण्ड एस) दिनांक 31 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2010

F. No. 51-1/2009/NCTE (N&S).—In exercise of the powers conferred under Clause (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations to further amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009 namely :—

1. (i) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Third Amendment) Regulations, 2010.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2009” (hereinafter referred to as said Regulations), in Regulation 7,—

(A) in Sub-Regulation (1) for the words “with separate submission of the following documents only, shall be considered as complete application” the words “should be followed by submission of following documents which should be dispatched within seven days of submission of the application” shall be substituted.

(B) for sub-Regulation (1-A), the following shall be substituted, namely,—

“(1-A)(i) The application shall be summarily rejected under one or more of the following circumstances :

- (a) The processing fee, as provided under rule 9 of the National Council for Teacher Education Rules, 1997 is not furnished on or before the date of submission of online application;
- (b) Hard copy in triplicate of the online application is not dispatched within 7 days of the submission of the online application;
- (c) Copy of the registered land documents issued by the competent authority indicating that the society/institution applying for the course possessed land on the date of application is not dispatched within 7 days of the submission of the online application.
- (ii) The Regional Committee shall, after recording reasons for rejection under the circumstances referred to in clause (i) above, return the application to the applicant and refund the processing fees within 30 days of the online submission of the application.
- (iii) In case the documents specified at Sl. No. (iii) to (vii) in Sub-Regulation (1) are not dispatched within seven days, or if the documents so submitted are found to be deficient in any manner, the Regional Committee shall treat them as removable deficiencies and communicate the same to the institution for removal of deficiencies in accordance with the time limit mentioned in Sub-Regulation (i).”

VIKRAM SAHAY, Member Secy.

[ADVT III/4/131/10/Ext.]

Note:—The principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. 51-1/2009/NCTE(N&S), dated the 31st August, 2009 and subsequently amended vide notification number F. 48-3(1)/2008/NCTE(N&S) dated the 30th March, 2010 and on 26th July, 2010.